

वर्ष 2022-23 की स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के मद संख्या- 44 : (ii) Creation of New Nursery में निम्न आवंटित कार्य को पूर्ण कराने हेतु अधिनस्थ वन मण्डलों को **IFMS** के माध्यम से निम्न बजट मद में बजट आवंटन किया जाकर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- 2406-04-103-04-01-12  
 2406- Forest & wildlife  
 04-Afforestation and Ecology Development  
 103- State Compensatory Afforestation (SCA)  
 (04)- Net Present value of forest land  
 (01)- Compensatory Afforestation  
 12 - Grant in Aid (Other than Salary)

(राशि रु. लाखों में)

| APO Item No. 44 : (ii) Creation of New Nursery |                          |                         |                                    |   |
|--|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| क्र.सं.  | कार्यालय का नाम          | Budget Allotment        |                                    |   |
|  |                          | Physical Targets (Nos.) | Total Amount (@ 15.00 lacs per no) | Site Details                              |
| 1.   | उ.व.सं. अजमेर            | 1                       | 15.00000                           | Arwar (Ajmer)<br>N26'09'28" E74'55'15"    |
| 2.   | उ.व.सं. अलवर             | 1                       | 15.00000                           | चिमरावली (रिंज-लक्ष्मणगढ़)                |
| 3.   | उ.व.सं. उदयपुर           | 1                       | 15.00000                           | Tokar<br>23'59'20" 73'48'46"              |
| 4.   | उ.व.सं. वन्य जीव राजसमंद | 1                       | 15.00000                           | Lilera (Kaliwas)<br>24 44 46.7 73 45 00.9 |
|  | योग                      | 4                       | 60.00000                           |   |

- Prior to implementation of above activities, the DCFs shall submit a certificate to State CAMPA to the effect that the proposed activities are being taken up after due consultation with Gram Sabha and are as per provisions of FRA 2006. Activities proposed in forest areas are in consonance with approved working plan; and activities proposed in protected areas (PAs) are in consonance with approved Wildlife Management Plan.
- इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ.14( )ए.पी.ओ./2022-23/कैम्पा/अप्रमुवसं/2915-27 दिनांक 18.05.2022 में वर्णित शर्तों की अनुपालना किया जाना सुनिश्चित हो।
- उक्त आवंटन के विरुद्ध नर्सरी में पक्के वेडस तथा पक्का निरीक्षण पाथ निर्माण एवं बिजली का बिल पर व्यय नहीं किया जावे।
- उप वन संरक्षकगण कृपया सुनिश्चित करें कि कैम्पा मद के अन्तर्गत आवंटित बजट का व्यय अनुमोदित कार्य योजना/वन्य जीव प्रबंधन योजना में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार ही करें।
- आवंटित बजट का व्यय कैम्पा Guidelines o Compensatory Afforestation Fund Act. 2016 (CAF act) तथा Compensatory Afforestation Fund Rules, 2018(CAF rules). के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जावे।
- ए.पी.ओ. वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित कार्यों पर ही कार्य कराया जाना सुनिश्चित हो एवं आवंटित बजट से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।
- उक्त आवंटन के विरुद्ध यदि किसी राशि का उपयोग संभव नहीं हो तो राशि शीघ्र इस कार्यालय को मय औचित्य समर्पित कर दी जावे।

- 8 आवंटित बजट की राशि का आहरण केवल तभी किया जाये जब स्वीकृत कार्य से सम्बन्धित व्यय का भुगतान किया जाना हो।
- 9 आवंटित राशि जिस उद्देश्य/कार्य के लिए आवंटित की गई है उसी उद्देश्य/कार्य के लिए नियमानुसार व्यय की जाय तथा इसमें किसी भी तरह का प्रशासनिक व्यय सम्मिलित नहीं किया जाये।
- 10 कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी की जाय। समस्त कार्य के लेखा एवं अन्य रिकॉर्ड **Manual of Guidelines and Accounting procedures relating to State CAMPA/ IFMS Accounting Rules** एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुरूप कैम्पा का लेखा कॉम्पैरेट अकाउंटिंग क अध्याय पर सीएजी द्वारा प्रेषित प्रपत्रों में संघारित करें। लेखों की ऑडिट महालेखाकार द्वारा की जावेगी।
- 11 उप वन संरक्षक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक व्यय का मासिक लेखा अपने नियंत्रक अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।
- 12 संबंधित मुख्य वन संरक्षक उनके अधीन वन मण्डलों से 5 तारीख तक लेखा प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह की 10 तारीख तक समस्त वन मण्डलों के लेखे संकलित कर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्रों में अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा कैम्पा अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के रजिस्टर का संघारण कार्यालय मुख्य वन संरक्षक स्तर पर भी कराया जावे।
- 13 बजट उपयोग के संबंध में समय-समय पर इस कार्यालय राज्य सरकार द्वारा प्रसारित समस्त दिशा निर्देशों की पालना की जावे।
- 14 कैम्पा से आवंटित बजट उन्ही कार्यों पर व्यय किया जावे जहां अन्य योजनाओं के इसी प्रकार के कार्य प्रस्तावित नहीं हैं, जिससे योजनाओं के परस्पर **Overlapping** से बचा जा सकें।
- 15 कैम्पा मद में सामग्री क्रय की कार्यवाही राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधानों के ही तहत की जावेगी तथा क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज विभागीय स्टोर पत्रिका में किया जावे एवम विभाग की प्रचलित प्रवृत्ति अनुसार लेखा-जोखा रखा जावेगा।
- 16 कैम्पा मद के अन्तर्गत नये कार्यस्थलों की सूची मय GPS Coordinates के ई-ग्रीनवॉच पोर्टल पर अपलोड करना तथा सूचना भिजवाना सुनिश्चित किया जावे।

*Sharma*

( शिखा मेहरा )

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),

राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक एफ 14( )कैम्पा/अप्रमुवस/लेखा/ब.आ /2022-23/ 4199-210

दिनांक 13/06/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), राजस्थान, जयपुर।
- 2 मुख्य वन संरक्षक -अजमेर/जयपुर/उदयपुर/वन्य जीव उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि समय-समय पर कैम्पा के कार्यों का निरीक्षण करें एवं राशि जिस कार्य हेतु आवंटित की जा रही है उसी कार्य पर व्यय किया जाना तथा वांछित रिकार्ड पूर्ण करवाना भी सुनिश्चित करवायें।
- 3 उप वन संरक्षक- अजमेर/अलवर/उदयपुर/वन्य जीव राजसमंद।
- 4 सहा. सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय हाजा (CAMPA) को मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन में संकलन किये जाने हेतु।
- 5 सूचना सहायक कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 6 लेखा शाखा कार्यालय हाजा/रक्षित पत्रावली।

*अक्षिता जोशी*

उप वन संरक्षक (कैम्पा)

राजस्थान, जयपुर।